

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

फौज.प्रकरण क्र. 946 / 11
संस्थित दि.: 07 / 12 / 11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,
तहसील-बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

महासिंह इनवाती पिता शिवराम इनवाती, उम्र 47 वर्ष,
जाति गोंड साकिन कोरजा(चारटोला), थाना परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 15/07/14 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 354 के तहत आरोप है कि आरोपी दिनांक-24.10.2011 को रात्रि लगभग 8:00 बजे स्थान ग्राम कोरजा, थाना परसवाड़ा में कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से फरियादी सुकवंतीबाई के गृह में जो मानव निवास व सम्पत्ति अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है, में सूर्यास्त के बाद एवं सूर्यास्त के पूर्व प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादी सुकवंतीबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ खींचकर सुट खोलकर एवम् सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सुकवंतीबाई ने थाना परसवाड़ा में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 24.10.11 को रात्रि के 8:00 बजे ग्राम कोरजा में वह अपने घर में अकेली थी तब पड़ोस का महासिंह गोंड आया और घर में घुस गया। आरोपी महासिंह ने बुरी नियत से उसके कपड़े खोलने लगा। वह चिल्लाई तो आवाज सुनकर पड़ोस के लोगों के आने पर आरोपी महासिंह ने उसे छोड़ा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी महासिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक -55/11 अंतर्गत धारा 457, 354 भा.द.सं. का पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर एवं आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी महासिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457 एवं 354 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 354 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु

विचारणीय है :-

- (अ) क्या आरोपी ने दिनांक-24.10.2011 को रात्रि लगभग 8:00 बजे स्थान ग्राम कोरजा, थाना परसवाड़ा में कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से फरियादी सुकवंतीबाई के गृह में जो मानव निवास व सम्पत्ति अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है, में सूर्यास्त के बाद एवं सूर्यास्त के पूर्व प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
- (ब) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुकवंतीबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ खींचकर सुट खोलकर एवं सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ? ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', एवं 'ब' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', एवं 'ब' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी विवेचनाकर्ता पुष्पेन्द्र (अ.सा.03) क कहना है कि दिनांक 25.10.2011 को सुकवंतीबाई की मौखिक रिपोर्ट पर से उसके द्वारा आरोपी महासिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 55/11 अन्तर्गत धारा 354, 457 भा.दं.वि. के तहत प्रदर्श पी-3 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया था। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 24.10.2011 को सुकवंतीबाई की निशादेही पर घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 साक्षी सन्नूसिंह के समक्ष तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही सुकवंतीबाई, हन्नूसिंह, चैतराम, मुन्नाबाई, श्यामबतीबाई एवं दिनांक 08.11.2011 को साक्षी फूल्लू उर्फ फूलचंद, खुड्डू उर्फ बुधराम, सतनबाई के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 26.10.2011 को साक्षियों के समक्ष आरोपी महासिंह को गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत सुकवंतीबाई का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में चिकित्सीय उपचार कराया गया था।

(08) किन्तु अभियोजन साक्षी/फरियादी सुकवंतीबाई (अ.सा.02) का कहना है कि घटना उसके कथन से दो वर्ष पुरानी सुबह के समय उसके घर की है। आरोपी से उसका मौखिक वाद-विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना परसवाड़ा में की थी। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 नहीं बनाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इंकार किया है कि घटना दिनांक रात्रि 8:00 बजे आरोपी उसके घर में घुसकर और उसे जबरन खींचकर उसके घर ले गया तथा आरोपी ने उसके घर में ले जाकर बुरी नियत से उसका सूट खोला एवं उसका जबरन सीना दबाया। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार

किया है कि हल्ला सुनकर उसकी मां आई। साक्षी ने प्रदर्श पी-3 का कथन पुलिस को देने से भी इंकार किया।

(09) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी छन्नू (अ.सा.01) का कहना है कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने नजरी नक्शा नहीं बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसे यह पता लगा था कि आरोपी महासिंह ने सुकवंतीबाई को अपने घर पर लाया था तथा सुकवंतीबाई के कपड़े खोलकर उसका सीना दबाने लगा था साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ की थी तथा उसने पुलिस को प्रदर्श पी-2 का कथन दिया था।

(10) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। फरियादी सुकवंतीबाई (अ.सा.02) एवं छन्नू (अ.सा.01) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी इन साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। फरियादी सुकवंतीबाई, विवेचनाकर्ता तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद है। अतः संदेह का लाभ आरोपी को दिया जावे।

(11) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(12) अभियोजन साक्षी विवेचनाकर्ता पुष्पेन्द्र (अ.सा.03) का कहना है कि दिनांक 25.10.2011 को सुकवंतीबाई की मौखिक रिपोर्ट पर से उसके द्वारा आरोपी महासिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 55/11 अन्तर्गत धारा 354, 457 भा.दं.वि. के तहत प्रदर्श पी-3 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया था। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 24.10.2011 को सुकवंतीबाई की निशादेही पर घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 साक्षी सन्नूसिंह के समक्ष तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही सुकवंतीबाई, हन्नूसिंह, चैतराम, मुन्नाबाई, श्यामबतीबाई एवं दिनांक 08.11.2011 को साक्षी फूल्लू उर्फ फूलचंद, खुड्डू उर्फ बुधराम, सतनबाई के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 26.10.2011 को साक्षियों के समक्ष आरोपी महासिंह को गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत सुकवंतीबाई का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में चिकित्सीय उपचार कराया गया था।

(13) अभियोजन साक्षी/फरियादी सुकवंतीबाई (अ.सा.02) का कहना है कि घटना उसके कथन से दो वर्ष पुरानी सुबह के समय उसके घर की है। आरोपी से उसका मौखिक वाद-विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना परसवाड़ा में की थी। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 नहीं बनाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इंकार किया है कि घटना दिनांक रात्रि 8:00 बजे आरोपी उसके घर में घुसकर और उसे जबरन खींचकर उसके घर ले गया तथा आरोपी ने उसके घर में ले जाकर बुरी नियत से उसका सूट खोला एवं उसका जबरन सीना दबाया। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि हल्ला सुनकर उसकी मां आई। साक्षी ने प्रदर्श पी-3 का कथन पुलिस को देने से भी इंकार किया।

(14) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी छन्नू (अ.सा.01) का कहना है कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने नजरी नक्शा नहीं बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसे यह पता लगा था कि आरोपी महासिंह ने सुकवंतीबाई को अपने घर पर लाया था तथा सुकवंतीबाई के कपड़े खोलकर उसका सीना दबाने लगा था साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ की थी तथा उसने पुलिस को प्रदर्श पी-2 का कथन दिया था।

(15) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी महासिंह ने दिनांक-24.10.2011 को रात्रि लगभग 8:00 बजे स्थान ग्राम कोरजा, थाना परसवाड़ा अन्तर्गत कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से फरियादी सुकवंतीबाई के गृह में जो मानव निवास व सम्पत्ति अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है, में सूर्यास्त के बाद एवं सूर्यास्त के पूर्व प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादी सुकवंतीबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ खींचकर सुट खोलकर एवम् सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया। ऐसे तथ्यों का अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में सर्वथा अभाव है। फरियादी, प्रथम सूचना रिपोर्ट, विवेचनाकर्ता एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है।

(16) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्ति-युक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपी महासिंह ने दिनांक-24.10.2011 को रात्रि लगभग 8:00 बजे स्थान ग्राम कोरजा, थाना परसवाड़ा में कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से फरियादी सुकवंतीबाई के गृह में जो मानव निवास व सम्पत्ति अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है, में सूर्यास्त के बाद एवं सूर्यास्त के पूर्व प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादी सुकवंतीबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ खींचकर सुट खोलकर एवम् सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से प्रतीत नहीं होता।

(17) परिणाम स्वरूप आरोपी महासिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 354 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(18) प्रकरण में आरोपी महासिंह पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में निष्पादित पूर्व के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित
खुले न्यायालय में घोषित किया गया। किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)